

विचार बिन्दु

पागल, प्रेमी और कवि की कल्पनाएँ एक सी होती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थानी भाषा में प्राथमिक शिक्षा का आगाज: विलम्ब से ही सही उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम

राजस्थान सरकार ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में राजस्थानी भाषा माध्यम से इसी सत्र से पढाई शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो शिक्षा, संस्कृति और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, हालांकि यह कदम राज्य सरकार को बहुत पहले उठाना चाहिए था।

आजादी से पहले राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से गुरुकुल, पाठशाला, और धार्मिक संस्थानों तक सीमित थी। राजस्थानी भाषा में शिक्षा का प्रचार–प्रसार ज्यादा व्यवस्थित नहीं था। उस समय राजस्थानी को बोलचाल और साहित्य की भाषा के रूप में तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन औपचारिक शिक्षा में संस्कृत, फ़ारसी, और बाद में अंग्रेजी का बोलबाला आ गया था। आज हालात ये हैं कि हिन्दी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली ने एक उम्र के बाद बच्चों को उनकी मातृभाषा से काट कर काफी दूर कर दिया है। आज के इस डिजिटल युग में राजस्थानी भाषा में ब्लॉग, वेबसाइट्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कुछ जागरूकता बढ़ी है। कुछ गैर–सरकारी संगठनों और साहित्यकारों ने राजस्थानी में पाठ्य सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने समय–समय पर राजस्थानी को स्कूलों में पढाने की घोषणाएँ तो कीं, लेकिन इसे पूरी तरह कभी भी लागू नहीं किया गया।

फ़िलहाल राज्य सरकार यह योजना प्राथमिक आधार पर नौ जिलों–सिरोही, डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ, बांसवाड़ा और चित्तौडगढ–में शुरू करने जा रही है और 2026 तक इसे 25 जिलों में विस्तार दिया जाएगा। वैसे तो यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही है, जो कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करती है। यूनेस्को की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, मातृभाषा में पढाई बच्चों की सीखने की क्षमता को 30–40 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूँढाड़ी, मालवी, बागड़ी, शेखावाटी, ढूँढाड़ी और बूज जैसी उप–बोलियों में बंटी है। यह भाषा अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को यह योजना इसे राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में अवश्य मदद करेगी। इस भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए व्यापक उपयोग होना पहली शर्त है। समृद्ध साहित्य और शैक्षिक उपयोग जैसे मानदंड भी जरूरी हैं, जिन पर राजस्थानी भाषा खरी उतरती है। इसके समृद्ध साहित्यिक का इतिहास प्राचीन है, जिसमें ‘पृथ्वीराज रासो’ और चारण काव्य शामिल हैं। ऐसे में स्कूलों में राजस्थानी माध्यम से पढाए जाने से इसका शैक्षिक महत्व बढ़ेगा, जिससे मान्यता की मांग को बल मिलेगा और केंद्र सरकार पर अच्छा खासा दबाव होगा। मणिपुरी और बोडो जैसी भाषाओं को भी शिक्षा में उपयोग के बाद मान्यता मिली थी और राजस्थानी के लिए भी यह संभव हो सकेगा।

इस योजना के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ बच्चों का व्यक्तित्व विकास है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मातृभाषा में पढाई से बच्चे आत्मविश्वास और रचनात्मकता में बढ़ोतरी महसूस करते हैं। अपनी भाषा में पढने से वे बिना भाषाई बाधा के विचार व्यक्त करते हैं, जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है। यह ग्रामीण बच्चों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, जो हिंदी या अंग्रेजी में असहज होते हैं। अपनी संस्कृति से जुड़ाव सांस्कृतिक गौरव पैदा करता है, जो व्यक्तित्व को मजबूत करता है। मातृभाषा में पढाई जटिल अवधारणाओं को समझने में आसान बनाती है, जिससे तार्किक और रचनात्मक सोच विकसित होती है। स्वीडन और एनाडा में मातृभाषा आधारित शिक्षा ने शैक्षिक प्रदर्शन में बहुत सुधार दिखाया था। राजस्थान में भी ऐसा प्रभाव संभव है। यह योजना सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान देगी जिससे राजस्थानी लोक गीत, कहानतें और कथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचेंगी। इससे ड्रापआउट दर को कम

समृद्ध साहित्य और शैक्षिक उपयोग जैसे मानदंड भी जरूरी हैं, जिन पर राजस्थानी भाषा खरी उतरती हैं। इसके समृद्ध साहित्यिक का इतिहास प्राचीन है, जिसमें ‘पृथ्वीराज रासो’ और चारण काव्य शामिल हैं। ऐसे में स्कूलों में राजस्थानी माध्यम से पढाए जाने से इसका शैक्षिक महत्व बढ़ेगा, जिससे मान्यता की मांग को बल मिलेगा और केंद्र सरकार पर अच्छा खासा दबाव होगा।

है, और विशेष प्रशिक्षण की जरूरत इसे और जटिल बना देगी। सरकार को गहरे और लम्बे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने होंगे। पाठ्य सामग्री की कमी भी एक मुद्दा रहेगा जिसे समय रहते हल करना आवश्यक है। मानकीकृत पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति चाहिए। हालांकि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं लेकिन उनका परीक्षण और मूल्यांकन तो तभी सामने आएगा जब बच्चे इसे ग्रहण करेंगे। राजस्थानी में उप–बोलियों के बीच सामंजस्य बिठाना चुनौतीपूर्ण है। एक सामान्य पाठ्यक्रम बनाना होगा, जो सभी बोलियों को समावेशी बनाए। अभिभावकों की मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि कई लोग अंग्रेजी या हिंदी को प्राथमिकता देते हैं।

अब तो ठेठ ग्रामीण इलाकों में भी अंग्रेजी के प्रति व्यामोह ने गहरी धुंध बना दी है। इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। निजी स्कूलों का रवैया एक बड़ी बाधा है। राजस्थान में निजी स्कूल अक्सर अंग्रेजी या हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अभिभावक इसे आधुनिक मानते हैं। सरकार राजस्थानी भाषा माध्यम शिक्षण को प्रोत्साहन दे सकती है, जैसे वित्तीय सहायता या मान्यता में लाभ। राजस्थानी को एक विषय के रूप में पढाने का मॉडल अपनाया जा सकता है, जैसा कर्नाटक में कन्नड़ के साथ हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन सहयोगात्मक दृष्टिकोण बेहतर होगा। निजी स्कूलों के लिए प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध करानी होगी। भारत के अन्य राज्यों में मातृभाषा आधारित शिक्षा की स्थिति अलग–अलग है। कर्नाटक में कन्नड़ प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य है, और निजी स्कूल भी इसे पढाते हैं। यूडीआरएसई की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 53.5 प्रतिशत से अधिक छात्र कन्नड़ में पढते हैं, जो मातृभाषा शिक्षा का सशक्त उदाहरण है। तमिलनाडु में तमिल प्राथमिक स्तर पर मुख्य माध्यम है, जिससे बच्चों का सीखना आसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 89.9 प्रतिशत छात्र बंगाली में पढते हैं, जो मातृभाषा शिक्षा का सशक्त उदाहरण है। असम में 91.1 प्रतिशत असमिया भाषी छात्र अपनी भाषा में पढते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बढ़ी है। ओडिशा में संथाली, हो, मुंडारी और कुड़ुख जैसी जनजातीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षकों और सामग्री की कमी बाधा है। गुजरात में गुजराती मुख्य माध्यम है, जिससे बच्चों की समझ में सुधार हुआ है। केरल में मलयालम प्राथमिक शिक्षा में प्रचलित है, और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। छत्तीसगढ में हल्बी और सरगुजिया जैसी स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री विकसित की गई है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी और अंग्रेजी का दबदबा है, और भोजपुरी, मैथिली जैसी बोलियां शिक्षा में उपेक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में गोंडी और भीली में पढाई शुरू हुई है, लेकिन यह सीमित है। एक राजस्थानी कहावत है, ‘‘**ज्यू नींव पक्की, त्यू मकान सच्ची**’’। यह शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को दर्शाती है। मातृभाषा में पढाई बच्चों की नींव को मजबूत करती है, जो उनके भविष्य को स्थायी बनाती है।

चूँकि राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे इसे आधिकारिक मान्यता और संसाधन नहीं मिले। स्कूलों में राजस्थानी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने में कमी रही। हिंदी और अंग्रेजी के दबाव में राजस्थानी शिक्षा हाशिए पर रही। मानकीकृत व्याकरण और शब्दकोश के अभाव में भाषा का शैक्षिक विकास रुका गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और शहरी क्षेत्रों में हिंदी–अंग्रेजी की प्राथमिकता ने राजस्थानी के उपयोग को बहुत कम किया है।

यह योजना राजस्थानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चुनौतियों का समाधान जरूरी है। पाठ्य सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय लेखकों को शामिल किया जाना चाहिए । उप–बोलियों के लिए लचीला पाठ्यक्रम चाहिए। जागरूकता के लिए सामुदायिक रेडियो और सोशल मीडिया प्रभावी उपयोग होना चाहिए। निजी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना होगा। अन्य राज्यों के अनुभव, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु, मार्गदर्श दे सकते हैं। यह प्रयास बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ेगा, राजस्थानी को मान्यता दिलाएगा और सांस्कृतिक विरासत को बचाएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा, साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

 राशिफल
गुरुवार 17 अप्रैल, 2025
 वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र शुक्रवार प्रात: 8:21 तक, वारियान योग रात्रि 12:50 तक, बालक कर्ण दिन 3:24 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।
पंडित अनिल शर्मा
ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
श्रेष्ठ चीघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:40 तक, चर 10:51 से 12:26 तक, लाभ-अमृत 12:26 से 3:37 तक, शुभ 5:12 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:48

 मेघ
 घर-परिवार की परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा, भागदौड़ रहेगी। आज शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

 तुला
 स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। विवादित मामलों का निपटारे का प्रयास करें। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

 वृष
 परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

 वृश्चिक
 व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेँगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

 मिथुन
 व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

 धनु
 घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

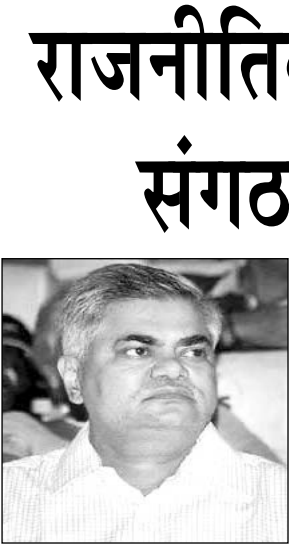
 कर्क
 आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों संबंध में दुविधा बनी रहेगी। परिजनों के व्यवहार के कारण मन व्यथित हो सकता है। स्वभाव पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

 मकर
 आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अरका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

 सिंह
 घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

 कुंभ
 व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

 कन्या
 व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



राजेश्वर सिंह

नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण, सक्रिय, समृद्ध व सुखद अस्तित्व का सुनिश्चयन कैसे हो, इस संबंध में प्रत्येक संवेदनशील, जागरूक व विचारशील व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक सुचिंतित, सुविचारित व सुनिश्चित अवधारणा होती है,जिसे हम उस व्यक्ति विशेष की विचारधारा के रूप में अभिहित करते हैं। समान विचारधारा के लोग नीति और कार्यक्रम के आधार पर संगठित होकर राजनीतिक दल को जन्म देते हैं। आदर्श रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल में खुली सदस्यता, आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक विचार विमर्श द्वारा लोक नीति का निर्धारण, विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ता प्रशिक्षण की प्रणाली तथा लोक शिक्षण एवं लोक जागरण हेतु प्रचार– प्रसार और सघन

राजस्थान में उच्च शिक्षा का स्वरूप

करते हैं।

चिकित्सा संस्थान: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर! चिकित्सा संस्थान चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

कृषि संस्थान: महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर,श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबेनर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, विश्वविद्यालय, जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा! कृषि संस्थान कृषि, पशुपालन और अन्य कृषि विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय: जगद्गुरु रामानंदचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर,

विधि विश्वविद्यालय: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर !

खुला विश्वविद्यालय: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा !

अन्य विश्वविद्यालय: सरदार पटेल पुलिस, सूक्ष्म और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुंझनू, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर ,राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर !

इसके अतिरिक्त, राजस्थान में कई निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा की कुछ विशेषताएं: राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की कुछ चुनौतियाँ:–

राजस्थान में उच्च शिक्षा में नामांकन दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:–

सामाजिक–आर्थिक कारक: राजस्थान में गरीबी और सामाजिक असमानता उच्च शिक्षा तक पहुँच को

है। पदाधिकारियों के कार्यकाल पर अधिकतम अवधि का सीमारोपण नहीं होना सबसे बड़ा दुषण है, जिससे विभिन्न दलों में व्यक्तिवाद और परिवारवाद की दुष्प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है ।

मेरी विनम्र राय में प्रत्येक राजनीतिक दल की प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय निकाय तक निर्वाचित अध्यक्षों को अधिकतम को दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए और यही सिद्धांत सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर,मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए ।

मुझे अमरीकी राष्ट्रपति प्रणाली की यह सबसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है जिसे भी वहां का वर्तमान तंत्र ध्वस्त करने की योजना बना रहा है । प्रत्येक राजनीतिक दल को जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रक्षा, विदेश नीति, सामाजिक न्याय व समावेशी विकास आदि के संबंध में अपनी रीति नीति स्पष्ट करनी चाहिए व इस संबंध में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना चाहिए ।

इस व्यवस्थित तंत्र में स्थानीय स्तर पर कार्यरत पुस्तकालय व वाचनालय, स्टडी सर्किल, विचार गोष्ठी, पत्र– पत्रिकाओं का

प्रकाशन, प्रमुख विचारकों की जयंती एवं पुण्यतिथि आयोजित करना तथा इस माध्यम से पार्टी की विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम का प्रचार – प्रसार इत्यादि सम्मिलित किये जा सकते हैं । लोकतंत्र में लोक शिक्षण किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुखतम दायित्व है ।

यह तभी संभव है जब राजनीतिक दल जन सामान्य को सचेत व जागरूक बनाने की जिम्मेदारी का वहन करें । भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं व सरकार बनाई जा सकती है पर राष्ट्र व उसके नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता ।

इसके लिए जन सामान्य का बौद्धिक एवं वैचारिक दृष्टि से सशक्त व समर्थ होना बहुत जरूरी है ताकि वे समुचित चिंतन, मनन व मंथन के उपरांत राष्ट्रीय हित व व्यापक जनहित में सर्वोत्तम राजनीतिक विकल्प का चयन कर सकें ।

इसकेलिए दलीय कार्यकर्ताओं का पार्टी के सिद्धांत, विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम की बारीकियों में निष्णात होना तथा उनके द्वारा सघन जनसंपर्क का कार्यक्रम हाथ में लिया जाना न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी है ।

इसी प्रकार पंचायती राज

संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों से लेकर विधानमंडलीय एवं संसदीय चुनाव तक के प्रत्याशियों के चयन में दल की विधिवत निर्वाचित स्थानीय इकाइयों की सक्रिय, सशक्त व निर्णायक भूमिका होनी चाहिए।

पार्टी हाईकमान द्वारा ऊपर से प्रत्याशी थोपा जाना न केवल पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान है वरन यह पार्टी कार्यकर्ताओं में धरातल पर जन समस्या समाधान में प्रवृत्त होने के बजाय बड़े नेताओं की परिक्रमा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है । यदि हमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमूलचूल सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन करना है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न लेखक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी व सिविल सोसाइटी समूह उपर्युक्त बिंदुओं पर व्यापक जन जागरण व जनमत निर्माण हेतु पहलकदमी करें तथा अंततः सर्व दलीय बैठक के माध्यम से सर्व सहमति का निर्माण हो ताकि देश एवं दलों के संविधान में तदनुसार संशोधन किया जा सके व उक्त प्रारूप को अमलीजामा पहनाया जा सके ।

राजेश्वर सिंह, आईएएस (अवकाश प्राप्त)

संस्थानों के अनुसार पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रमों को उद्योग की प्राथमिकताओं के अनुसार अद्यतन करना चाहिए। व्यावसायिक और कौशल–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों को इंटरनशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना चाहिए।

रोजगार योग्यता: छात्रों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। नई तकनीकी शिक्षा भी जोर देना चाहिए।

सामाजिक प्रासंगिकता: शिक्षा को सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों को सिखाना चाहिए।

सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम:सरकारी नीतियाँ: उच्च शिक्षा में सुधार के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीतियाँ लागू करना चाहिए।उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही देनी चाहिए।शिक्षा में निजी निवेश को भी बढ़ावा देना चाहिए।

शैक्षिक संस्थान: शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्ता सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।अध्यापकों और छात्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करके, राज्य न केवल अपने छात्रों के भविष्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:अनुसंधान और नवाचार का महत्व: आर्थिक विकास: अनुसंधान और नवाचार से नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है। सामाजिक विकास: अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिलती है।यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।शैक्षिक विकास: अनुसंधान से ज्ञान का विस्तार होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है।

राजस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम: निवेश में वृद्धि: अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि

अनुसंधान संस्थानों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।अवसरबन का विकास:आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए।प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए।सहयोग को बढ़ावा देना: विश्वविद्यालयों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिए।उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: छात्रों और शोधकर्ताओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को समर्थन देना चाहिए।नीतियों का निर्माण: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनानी चाहिए।बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास: अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिए। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए करियर के अवसर प्रदान करने चाहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास: राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। फिर भी, इस दिशा में और अधिक निवेश और प्रयासों की आवश्यकता है ताकि राज्य एक महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित हो सके। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों की फीस एक बड़ी समस्या है। इसके कई कारण हैं और इसके समाधान के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं।

समस्या के कारण:–अत्यधिक फीस: कई निजी संस्थान अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जो अधिकांश छात्रों और उनके परिवारों के लिए वहन करना मुश्किल होता है। कुछ संस्थान तो कैपिटेशन फीस भी लेते हैं, जो गैरकानूनी है। पारदर्शिता की कमी: फीस संरचना में पारदर्शिता की कमी है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को फीस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है।फीस में अचानक वृद्धि भी एक समस्या है। विनियमन का अभाव: निजी संस्थानों की फीस को विनियमित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव है। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

–अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर